आरटीएस का डिटेल वेबसाइट पर जारी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम आमजन को तमाम अहम सेवाएं निर्धारित समय में लागू करने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें 20 विभागों की 55 सेवाओं को शामिल किया गया है। इसकी पूरी सूची बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर जारी की गई है।

इसमें सभी अधिसूचित सेवाओं के लिए संबंधित पदाधिकारियों के विवरण के अलावा सेवा मुहैया कराने की समयसीमा भी दी गई है। किसी तरह की समस्या होने पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के प्रशासनिक पदाधिकारी से दिए गए फोन नम्बर पर संपर्क करने को भी कहा गया है। सेवा मुहैया कराने वाले तमाम पदाधिकारियों को उल्लेखित सेवाओं को निर्धारित

समयसीमा के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश भी है। इसमें सबसे अधिक परिवहन विभाग की डीएल समेत 18 सेवाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड तथा विश्वविद्यालयों या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अंक पत्र, माइग्रेशन समेत अन्य जरूरी कागजातों को प्राप्त करने की निर्धारित अवधि दी गई है। उन अधिकारियों का भी उल्लेख जो इन सेवाओं को मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार हैं।